न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 02/15–16

एतवारी मालतो बनाम् रैयान मौजा–तमली अमडंडा

–: आदेश :–

2.2020

वर्तमान प्रधान नियुक्ति की प्रकिया आवेदक एतवारी मालतो, पे0–स्व0 बलराम पहाड़िया, साकिन– तमली अमडंडा एवं आवेदक लखन पहाड़िया, पे0–स्व0 गांगू पहाड़िया, सा0– तमली अमडंडा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा– तमली अमडंडा नं0–32 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–205/रा0, दिनांक–25.04.2017 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– तमली अमडंडा नं0–32 प्रधानी मौजा है। आवेदक लखन पहाड़िया मौजा– तमली अमडंडा नं0–32 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–17 के जमाबंदी रैयत रूपा पहाड़िया का पोता है। आवेदक के पिता स्व0 गांगू पहाड़िया उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–25.10.2015 को हो गई है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत आवेदक लखन पहाड़िया मौजा– तमली अमडंडा नं0–32 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर लखन पहाड़िया, पे0–स्व0 गांगू पहाड़िया, सा0– तमली अमडंडा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा– तमली अमडंडा नं0–32 का प्रधान नियुक्त किया जाता है तथा आवेदक एतवारी मालतो, पे0–स्व0 बलराम पहाड़िया, साकिन– तमली अमडंडा के आवेदन को खारिज किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

22/12/20

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

22/12/20

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

दुर्गा [illegible] अतिरिक्त 22.12.20

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:23:33 +05:30
Location: 192.168.8.107

F/Order.